भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1965

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का आधुनिकीकरण

1965. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में गत दस वित्तीय वर्षों के दौरान सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण के लिए कोई समयबद्ध रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त आधुनिकीकरण के अंतर्गत शामिल सुदृढ़ीकरण, पुनः सतहीकरण, सुरक्षा विशेषताओं लेन सुधार, जलवायु-अनुकूल सामग्री और प्रौद्योगिकी-आधारित अनुरक्षण जैसे घटकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) विगत दस वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण सहित उनके विकास एवं अनुरक्षण पर किए गए व्यय का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

सरकार संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए हरियाणा राज्य सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आवंटित और जारी करती है। हरियाणा राज्य में सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए विगत दस वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों के उपार्जन और जारी धनराशि का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य, जिनमें उच्च गति गलियारों का निर्माण, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता को दो/चार/छह/आठ लेन मानकों तक बढ़ाना, सुदृढ़ीकरण, पुनर्समीक्षा, ब्लैक स्पॉट का निवारण और सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य इंजीनियरिंग सुधार कार्य, पुलों और उन पर बनी अन्य संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण, सतत निर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए, यातायात सघनता, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, आपसी प्राथमिकता और प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किए जाते हैं। वर्तमान में, देश में 27,859 किलोमीटर लंबाई की 1,208 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं 7.68 लाख करोड़ रू की लागत से निर्माणाधीन हैं।

निर्माण, अनुरक्षण और निगरानी प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग अंतर्निहित है, उदाहरण के लिए **निर्माण में स्वचालित और कुशल मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण, निर्माण के दौरान नियमित परीक्षण के लिए मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन और सड़क सतह विश्लेषण के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन का उपयोग, रखरखाव कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए ड्रोन इमेजिंग एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है।**

अनुलग्नक-I

सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का आधुनिकीकरण के संबंध में श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1965 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर किए गए व्यय का वर्ष-वार विवरण : -

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये रू)
2015-16	2,105
2016-17	2,033
2017-18	2,270
2018-19	6,210
2019-20	6,721
2020-21	10,651
2021-22	7,203
2022-23	3,924
2023-24	6,062
2024-25	4,344
2025-26 (31.10.2025 तक)	1,242

अनुलग्नक-II

सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का आधुनिकीकरण के संबंध में श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1965 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले दस वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य में सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के उपार्जन और जारी धनराशि का वर्ष-वार विवरण:

वर्ष	**उपार्जन (करोड़ रुपये)**	**जारी धनराशि (करोड़ रू)**
2015-16	78.65	78.65
2016-17	192.79	167.34
2017-18	180.11	114.14
2018-19	183.17	80.93
2019-20 *	185.10	200.77
2020-21	167.73	78.54
2021-22	177.05	163.71
2022-23 #	197.73	0.00
2023-24 #	205.63	108.60
2024-25 #	203.31	189.00
2025-26 (31.10.2025 तक) #	222.59	0.00

***सीआरआईएफ योजना के तहत जारी की गई निधियों, संबंधित वर्ष के लिए राज्य की अर्जित राशि से अधिक है, जो उस राज्य के विगत वर्षों के अप्रयुक्त शेष में से ली गई है।**

 # इसमें सीआरआईएफ योजना के तहत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आबंटित/जारी की गई निधियां शामिल है

*****